

Dated 1-7-2006

**राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण**  
**THE NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY**

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2006

सा.का.नि. 156.—राष्ट्रीय, जैव विविधता प्राधिकरण, जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 14 और धारा 64 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अपने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति और सेवा की शर्तों का विनियमन करने के निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों) विनियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण के कर्मचारिवृन्द.—राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पदों का नाम, उनकी संख्या वर्गीकरण और वेतनमान वह होगा जो इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों के लिए भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और अन्य संबंधित विषय वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के परामर्श से यदि संतुष्ट हो कि ऐसे विवाह की व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत उस व्यक्ति को अनुमति है और यह कि ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो इस नियम से किसी को छूट दी जा सकती है।

5. सेवा शर्तें : राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को भत्ते, छुट्टियों, भविष्य निधि, अधिनर्षिता आगु, पेंशन और सेवानिवृत्ति कामदो, चिकित्सा सुविधाओं और सेवा की अन्य शर्तों के विषय को तत्समय के लिए उन स्थानों पर नियुक्त उसी वेतनमान में केन्द्रीय सरकार के यथास्थिति समूह क, समूह ख, समूह ग और समूह घ के अधिकारियों और कर्मचारियों, पर लागू ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

6. नियुक्ति प्राधिकारी.—(1) समूह "क" और समूह "ख" पदों की सभी नियुक्तियां राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा की जाएंगी। (2) "समूह ग" और "समूह घ" पदों पर सभी नियुक्तियां राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सचिव द्वारा की जाएंगी।

7. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंधा करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए सेवा वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
सचिव	01(2006)	समूह 'क' आराजपत्रित (अननुसचिवीय)	18000-500- 22400 रु.	लागू नहीं होता	हां	50 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 55 वर्ष तक शिथिलनीय)

**टिप्पणी :** आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो

8

9

10

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राणीविज्ञान/वनस्पति विज्ञान/समुद्री जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी में डिग्री/प्रथम श्रेणी में मास्टर डिग्री या समतुल्य और अनुभव:- जैवविविधता/सूचीबद्धता/संरक्षण और प्रबंधन, राष्ट्रीय जैवविविधता कार्यनीतियों पर प्रास्थिति सर्वेक्षण के क्षेत्र में 14 वर्ष का अनुभव और कम से कम प्रशासन और भारत सरकार के नियमों में 05 वर्ष का अनुभव।

लागू नहीं

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

11

12

प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

**प्रतिनियुक्ति**—केन्द्रीय या राज्य सरकारों के ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं।

(ii) मूल काडर/विभाग में कम से कम 2 वर्षों से 16400-20000 रु. के या समतुल्य वेतनमान में पद धारण किए हैं या हो।

(iii) मूल काडर/विभाग में कम से कम 4 वर्षों से 14300-400-18300 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में पद धारण किए हुए हैं; और

(ख) जिसके पास संबंधित क्षेत्र के साथ ही साथ प्रशासन कार्य में अनुभव है।

**टिप्पणी :-** (1) प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (केवल पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए है) में निम्नलिखित होंगे :-

लागू नहीं।

- |   |          |
|---|----------|
| 1. सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय            | —अध्यक्ष |
| 2. अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण | —सदस्य   |
| 3. अपर सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय        | —सदस्य   |

1	2	3	4	5	6	7
2. प्रशासनिक अधिकारी	1*(2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह "क" अराजपत्रित (अनुसचिविय)	10000-325- 15200 रु.	लागू नहीं	नहीं	45 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 50 वर्ष और अनुसूचित जन ज्ञनजाति की दशा में 55 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)
<b>टिप्पणी :-</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।						

8	9	10				
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री या समतुल्य और सरकारी संगठन में प्रशासन या स्थापना कार्यों का 10 वर्ष का अनुभव और कम्प्यूटर पर कार्यसाधक ज्ञान	लागू नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष				
11	12					
प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	<p><b>प्रतिनियुक्ति :</b> केन्द्रीय या राज्य सरकारों के ऐसे अधिकारी जो</p> <p>(क) (i) नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं।</p> <p>(ii) मूल काडर/विभाग में कम से कम 05 वर्षों से 8000-13500 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं।</p> <p>(iii) मूल काडर/विभाग में कम से कम 8 वर्षों से 6500-175-10500 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पद धारण किए हैं; और</p> <p>(ख) जिसके पास संबंधित क्षेत्र के साथ ही साथ प्रशासन कार्य में अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पणी:</b> (1) प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>(2) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>					
13	14					
समूह “क” विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं।					
1. अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण						
2. सचिव, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण						
3. एक सहयोजित सदस्य जो मुख्य रूप से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का अधिमानतः भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से अन्यून का न हो।						
1	2	3	4	5	6	7
3. अध्यक्ष का निजी सचिव	1*(2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह “क” अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	10000-325-15200 रु.	लागू नहीं	नहीं	35 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या जनजातियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)



**टिप्पण :-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

8	9	10
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री या समतुल्य	लागू नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष
(ii) कम्प्यूटर का ज्ञान; और		
(iii) अनुभव: आशुलिपि, प्रशासन और भारत सरकार नियमों का 10 वर्ष का अनुभव।		
11	12	
प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<p><b>प्रतिनियुक्ति :</b> केन्द्रीय या राज्य सरकारों के ऐसे अधिकारी जो</p> <p>(क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं, या</p> <p>(ii) मूल कांडर/विभाग में कम से कम 5 वर्षों से 8000-13500 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(iii) मूल कांडर/विभाग में कम से कम 8 वर्षों से 6500-10500 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं; और</p> <p>(ख) आशुलिपि, प्रशासन और भारत सरकार के नियमों में 10 वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पणी:</b> (1) प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>(2) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	

13	14
----	----

समूह “क” विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :-

लागू नहीं होता।

1. अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण
2. सचिव, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण
3. एक सहयोजित सदस्य जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का अधिमानतः भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से अन्यून का न हो

1	2	3	4	5	6	7
4. लेखा अधिकारी	1*(2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह “क” अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	8000-275- 13500 रु.	लागू नहीं	नहीं	21 से 30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। <b>टिप्पण :-</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नीचे दिए गए निम्न विषय में बैचलर डिग्री या समतुल्य (1) वाणिज्य (2) गणित (3) सांख्यिकी (4) अर्थशास्त्र (5) कम्प्यूटर विज्ञान (6) प्रचालन अनुसंधान (7) वित्त/ वित्तीय प्रबंधन और लेखाक्रम। <b>अनुभव (वांछनीय) :</b> सहायक लेखा अधिकारी की श्रेणी में सरकारी विभागों से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव और भारत सरकार के नियमों और विनियमों से सुपरिचित। कम्प्यूटर का कार्य साधक ज्ञान हो।	लागू नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष।

11	12
प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<p>प्रतिनियुक्ति—केन्द्रीय या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी जो</p> <p>(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या</p> <p>(ii) मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर कम से कम दो वर्षों से 7500-250-12000 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में पद धारण किए हो; या</p> <p>(iii) मूल काडर/विभाग में कम से कम पांच वर्षों से 6500-200-10500 रु. के या समतुल्य वेतनमान में पद धारण किए हुए हैं; और</p> <p>(ख) संबंधित क्षेत्र के साथ ही साथ प्रशासन कार्य में अनुभव हो।</p> <p>रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों के नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>

13	14
<p>समूह “क” विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण —अध्यक्ष</li> <li>2. सचिव, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण —सदस्य</li> <li>3. एक सहयोजित सदस्य जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का अधिमानतः भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से अन्यून का न हो —सदस्य</li> </ol>	

1	2	3	4	5	6	7
5. सलाहकार 1*(2006) (विधि)	समूह “ख” *कार्यभार के अराजपत्रित आधार पर (अननुसचिवीय) परिवर्तन जा सकता है ।		7,500-250-12,000 रु.	लागू नहीं	नहीं	<p>40 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की दशा में 50 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।</p> <p>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>

8	9	10
अनिवार्य :	लागू नहीं होता	दो वर्ष
1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में द्वितीय श्रेणी में बैचलर डिग्री या समतुल्य और कम्प्यूटर में कार्यसाधक ज्ञान ।		
2. किसी सरकारी विभाग अथवा स्वशासी निकाय में न्यायिक अधिकारी या विधि अधिकारी या सहायक विधि सलाहकार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव अथवा उपभोक्ता पेटेन्ट अधिकारों/बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों से संबंधित कार्य करने का पांच वर्ष का अनुभव ।		
वांछनीय :		
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में मास्टर डिग्री		

11	12
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता

13	14
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :--	लागू नहीं होता ।
1. अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण	—अध्यक्ष
2. सचिव, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण	—सदस्य
3. एक सहयोजित सदस्य जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो	—सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
6. तकनीकी 1*(2006) समूह "ख" अधिकारी *कार्यभार के अराजपत्रित (बौद्धिक आधार पर संपदा परिवर्तन किया अधिकार) जा सकता है ।			7,500-250-12,000 रु.	चयन	नहीं	30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।  टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम,



		7
		मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

8	9	10
शैक्षणिक अर्हता :	लागू नहीं होता	दो वर्ष
(क) अनिवार्य : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में बैचलर डिग्री या समतुल्य और कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान ।		
(ख) वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में मास्टर डिग्री अथवा समतुल्य; और		
अनुभव : उपभोक्ता/पेटेंट अधिकार/बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों में अधिवक्ता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।		

11	12
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता

13	14
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता ।
1. अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण	-अध्यक्ष
2. सचिव, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण	-सदस्य
3. एक सहयोजित सदस्य जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और अधिमानतः भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो ।	-सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
7. तकनीकी 1*(2006) अधिकारी *कार्यभार के अराजपत्रित (फायदा - आधार पर भागीदारी) परिवर्तन किया जा सकता है ।			75,00-250-12,000 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और जाति या अनुसूचित जनजाति की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

**टिप्पण :-**आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

8	9	10				
शैक्षणिक अर्हता :	लागू नहीं होता	दो वर्ष				
(क) अनिवार्य :						
(i) प्राणी विज्ञान/समुद्री जीव विज्ञान/मातिस्यकी में मास्टर डिग्री,						
(ii) कम्प्यूटर में कार्यसाधक ज्ञान;						
(ख) वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक विज्ञान में डिप्लोमा या समतुल्य; और						
अनुभव : विस्तार कार्यों/लाभ भागीदारी से संबंधित मामलों में 5 वर्षों का अनुभव						
11	12					
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता					
13	14					
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		लागू नहीं होता				
1. अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण		-अध्यक्ष				
2. सचिव, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण		-सदस्य				
3. एक सहयोजित सदस्य जो मुख्य रूप से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और अधिमानतः भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो।		-सदस्य				
1	2	3	4	5	6	7
8. सचिव के निजी सचिव	1*(2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "क" अराजपत्रित (अनुसूचिवीय)	6500-200-10500 रु.	लागू नहीं	नहीं	21 से 30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में

	<p>7</p> <p>40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की दशा में 45 वर्ष तक की छूट शिथिल की जा सकती है)।</p> <p><b>टिप्पण :-</b>(1) प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>(2) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
<p>8</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री या समतुल्य कम्प्यूटर ज्ञान सहित (माइक्रो साफ्ट ऑफिस/ एक्सेल आदि में प्रवीणता और आशुलिपि में पांच वर्ष का अनुभव।</p>	<p>9</p> <p>लागू नहीं</p> <p>10</p> <p>दो वर्ष</p>
<p>11</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>12</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति :-</b>केंद्रीय या राज्य सरकारों के अधिकारी जो</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं, या</p> <p>(ii) मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर कम से कम तीस वर्षों से 5500-175-9000 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में पद धारण किए हैं, या</p> <p>(iii) मूल काडर/विभाग में कम से कम 13 वर्षों से 4000-100-6000 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में पद धारण किए हैं ; और</p> <p>(ख) संबंधित क्षेत्र के साथ ही साथ प्रशासन कार्य में अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण :-</b> (1) प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>(2) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
<p>13</p> <p>समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>1. अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण -अध्यक्ष</p> <p>2. सचिव राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण -सदस्य</p> <p>3. एक सहयोजित सदस्य जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और अधिमानतः भारत सरकार के अवर सचिव से अन्यून की पंक्ति का न हो। -सदस्य</p>	<p>14</p> <p>लागू नहीं</p>

1	2	3	4	5	6	7
9. कार्यालय सहायक/कम्प्यूटर सहायक	2*(2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "ग" अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	5500-175-9000 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	20 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

8	9	10
आवश्यक :	लागू नहीं होता	दो वर्ष
<p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री या समतुल्य और कार्यालय कार्य में कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर कार्यक्रम के उपयोग का ज्ञान।</p> <p>अनुभव (वांछनीय) : सरकारी विभागों/स्वभास निकायों/निजी क्षेत्र आदि में प्रशासन कार्य के क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो।</p>		

11	12
प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय या राज्य सरकारों के ऐसे अधिकारी जो</p> <p>(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या</p> <p>(ii) मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर कम से कम दस वर्षों से 4000-100-6000 रुपये के या समतुल्य वेतनमान में पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ख) संबंधित क्षेत्र और प्रशासन कार्य में अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण :- (1) प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>(2) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं
1. सचिव, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण	-अध्यक्ष
2. प्रशासनिक अधिकारी राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण	-सदस्य
3. एक सहयोजित सदस्य जो अनुसूचित जाति या जनजाति का हो जो अधिमानतः भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो	-सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
10. तकनीकी सहायक	2*(2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह “ग” अराजपत्रित (अनुसूचित)	5500-175-9000 रु.	लागू नहीं	नहीं	20 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।
<b>टिप्पण 1 :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखण्ड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।						
<b>टिप्पण 2 :</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।						
8			9		10	
<b>आवश्यक :</b> किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राणि विज्ञान/वनस्पति विज्ञान, समुद्री वनस्पति विज्ञान/मत्स्यिकी में मास्टर डिग्री या समतुल्य, और अनुभव : वर्गिकी/जैव विविधता से संबंधित कार्य में अनुसंधान का दो वर्ष का अनुभव वांछनीय : कम्प्यूटर का ज्ञान			लागू नहीं होता		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	



11	12
प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<p><b>प्रतिनियुक्ति :-</b> केन्द्रीय या राज्य सरकारों के ऐसे अधिकारी जो-</p> <p>(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा (ii) मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर कम से कम दस वर्षों से 4000-100-6000 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में पद धारण किए हैं या</p> <p>(ख) संबंधित और ही साथ प्रशासन कार्य का अनुभव रखते हो।</p> <p><b>टिप्पण :-</b> (1) प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>(2) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :	लागू नहीं
सचिव, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण	-अध्यक्ष
प्रशासनिक अधिकारी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण	-सदस्य
एक सहयोजित सदस्य जो अनुसूचित जाति या जनजाति का हो और अधिमानतः भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो	-सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
आशु- लिपिक "सी"	1*(2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह "ग" अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	5500-175- 9000 रु.	लागू नहीं	नहीं	18 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।
<p><b>टिप्पणी 1 :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा</p>						

		7
		चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
		<b>टिप्पणी 2 :</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10
स्टेनोग्राफर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव	लागू नहीं	दो वर्ष

11	12
प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<p><b>प्रतिनियुक्ति :-</b> केन्द्रीय या राज्य सरकारों के ऐसे अधिकारी जो :—</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं, या</p> <p>(ii) मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर कम से कम दस वर्षों से 4000-100-6000 रुपये के या समतुल्य वेतनमान में पद धारण किए हुए हैं; और</p> <p>(ख) संबंधित क्षेत्र के साथ ही साथ प्रशासन कार्य में अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पणी :</b> (1) प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>(2) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—	लागू नहीं होता।
1. सचिव, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण	—अध्यक्ष
2. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण	—सदस्य
3. एक सहयोजित सदस्य जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और अधिमानतः भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से अन्यून का न हो	—सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
2. आशुलिपिक "डी"	1*(2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "ग" अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	4000-100-6000 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	18 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।
						<p><b>टिप्पण 1 :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>

टिप्पणी : (1) प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य क्राडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :-

लागू नहीं होता।

1. सचिव, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण —अध्यक्ष
2. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण —सदस्य
3. एक सहयोजित सदस्य जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और अधिमानतः भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो —सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
13. चपरासी/दफ्तरी (दो बाह्य संसाधनों से और दो वेतन-मान में)	4*(2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "घ" (अराजपत्रित) (अननुसचिवीय)	2550-55-2660-60-3200 रु.	अचयन	नहीं	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पणी 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

टिप्पणी 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10
आवश्यक : (1) मिडिल स्कूल प्रमाण पत्र। (2) किसी ख्याति प्राप्त संगठन से जिल्दसाजी कार्य में प्रमाण-पत्र।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए छः माह
वांछनीय : (1) हिन्दी पढ़ने और लिखने की योग्यता। (2) अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के साथ क्षेत्रीय कार्यों को करने की योग्यता। (3) जिराक्स मशीनों को चलाने की क्षमता।		
11	12	
सीधी भर्ती द्वारा या बाह्य अभिकरणों के माध्यम से संविदा के आधार पर।	लागू नहीं होता	
13	14	
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :- 1. सचिव, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण -अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण -सदस्य 3. एक सहयोजित सदस्य जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और अधिमानतः भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो	लागू नहीं होता।	

[फा. सं. जे-22018/19/2003-सी एस सी (बीसी)]

देश दीपक वर्मा, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th June, 2006

**G.S.R. 156.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 and Section 64 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the National Biodiversity Authority with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment and conditions of service of its officers and other employees, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the National Biodiversity Authority (Recruitment and Conditions of Service of Officer, and other employees) Regulations, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Staff of the National Biodiversity Authority.**—The name of the posts of the Officers and other employees of the National Biodiversity Authority, their number, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns 1 to 4 of the Schedule appended to these regulations.

**3. Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment, to the said post, age limit, qualifications, and other matters relating thereto, shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

**4. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the National Biodiversity Authority may in consultation with the Central Government, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.



**5. Conditions of Service.**—The conditions of service of the officers and other employees of the National Biodiversity Authority in matters of Allowances, Leave, Provident Fund, age of superannuation, pension and retirement benefits, medical facilities and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to the officers and employee of the Central Government belonging to Group A, Group B, Group C and Group D posts, as the case may be, of the corresponding scales of pay stationed at those places.

**6. Appointing Authority.**—(1) All appointment to Group 'A' and Group 'B' posts shall be made by the Chairperson of the National Biodiversity Authority.

(2) All appointments to Group 'C' and Group 'D' posts shall be made by the Secretary of the National Biodiversity Authority.

**7. Power to relax.**— Where the National Biodiversity Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing, and in consultation with the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**8. Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, the other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
1. Secretary	1(2006)	Group A Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 18400-500-22400	Not applicable	Yes
<hr/>					
Age limit for direct recruits		Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
7		8	9		10
50 years (Relaxable for Government servants up to 55 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District and Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).		Doctoral Degree/with first class Master's Degree in Zoology/Botany/Marine Biology/Biotechnology from a recognized University or Institute or equivalent; and Experience : 14 years experience in the field of status survey on Biodiversity/investigations/conservation and management, National Biodiversity Strategies, with minimum 5 years experience in administration and Government of India rules.	Not applicable		Two years for direct recruitment.

**Method of recruitment:** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

11	12
By deputation failing which by direct recruitment	<p><b>Deputation:</b>  Officers of the Central or State Governments :  (a) (i) holding analogous post on regular basis; or  (ii) holding post in the scale of pay of Rs. 16400-20,000 or equivalent in the parent cadre/department on regular basis for at least two years; or  (iii) holding posts in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18300 or equivalent in the parent cadre/department for atleast four years; and  (b) having experience in the relevant field as well as in the administration.  Note: (1) The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other Organization/ Department shall ordinarily not exceed three years.  (2) The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
---	---

13	14
Group A Departmental Promotion Committee (considering cases of confirmation only) consisting of : (i) Secretary, Ministry of Environment and Forests—Chairman (ii) Chairman, National Biodiversity Authority —Member (iii) Additional Secretary, Ministry of Environment and Forest —Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6
2. Administrative Officer	1*(2006) *subject to variation dependent on workload.	Group A Non-Gazetted (Ministerial)	Rs. 10000-325-15200	Not applicable	No

  

7	8	9	10
45 years (Relaxable for Government servants upto the age of 50 years in the case of general candidates and upto 55 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled	Master's Degree in Public Administration from a recognized University or Institute or Equivalent; and Experience of 10 years in administration and establishment works in Government	Not applicable	Two years for direct recruits

7	8
<p>Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.</p> <p>Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p>Organization with working knowledge in Computer.</p>
11	12
<p>By deputation failing which by direct recruitment.</p>	<p><b>Deputation :</b></p> <p>Officers of the Central or State Governments :</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis; or</p> <p>(ii) holding post in the scale of pay of Rs. 8000-13500 or equivalent in the parent cadre/department on regular basis for at least five year; or</p> <p>(iii) holding post in the scale of pay of Rs. 6500-175-10,500 or equivalent in the parent cadre/department on regular basis for atleast eight years; and</p> <p>(b) having experience in the relevant field as well as in the administration.</p> <p>Note : (1) The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other Organization/Department shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>(2) The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
13	14
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of :</p> <p>(i) Chairperson, National Biodiversity Authority.</p> <p>(ii) Secretary, National Biodiversity Authority.</p> <p>(iii) One Co-opted Member preferably belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes not below the rank of Under Secretary to the Government of India.</p>	<p>Not applicable.</p>

1	2	3	4	5	6
3. Private Secretary to the Chairperson	1* (2006) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A' Non-Gazetted (Ministerial)	Rs. 10000-325-15200	Not applicable	No
7	8	9	10		
35 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.  Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	(i) Bachelor's degree from a recognized University or Institute or equivalent; (ii) Knowledge in computer; and (iii) Experience : 10 years experience in stenography, administration and Government of India rules.	Not applicable	Two years for direct recruits.		
11	12				
By deputation failing which by direct recruitment.	<b>Deputation :</b> Officers of the Central or State Governments : (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) holding post in the scale of pay of Rs. 8000—13500 or equivalent on regular basis for at least five years; or (iii) holding posts in the scale of pay of Rs. 6500-10500 or equivalent on regular basis for atleast eight years; (b) having experience in the field of stenography, administration and Government of India rules.  <b>Note:—</b> (1) The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organization/Department shall not ordinarily not exceed three years. (2) The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.				



13			14		
Group 'A' Departmental Promotion			Not applicable.		
Committee consisting of :					
(1)	Chairperson, National Biodiversity Authority	—Chairman			
(2)	Secretary, National Biodiversity Authority	—Member			
(3)	One Co-opted Member preferably belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes not below the rank of Under Secretary to the Government of India	—Member			
1	2	3	4	5	6
4. Accounts Officer	1* (2006) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A' Non-Gazetted (Ministerial)	Rs. 8000-275-13500	Not applicable	No.
7	8	9	10		
21 to 30 years (Relaxable for Government servant upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) <b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Bachelor's degree from a recognized University or Institute or equivalent in anyone of the following disciplines: (1) Commerce (2) Mathematics (3) Statistics (4) Economics (5) Computer Science (6) Operational Research (7) Finance/Financial Management and Accountancy. <b>Experience (Desirable):</b> Having atleast three years experience in the Government Departments in the grade of Assistant Accounts Officer should be well-verse in the rules and regulations of Government of India. Working Knowledge in Computer.	Not applicable	Two years for direct recruits		
11			12		
By deputation failing which by direct recruitment.			<b>Deputation :</b> Officers of the Central or State Governments : (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) holding post in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000 or equivalent in the parent cadre/department on regular basis for at least two years; or (iii) holding posts in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 or equivalent in the parent cadre/department for atleast five years; and (b) having experience in the relevant field as well as in administration. <b>Note:</b> (1) The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other Organization/Department shall not ordinarily not exceed three years'. (2) The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		



13				14	
Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of :				Not applicable .	
(1)	Chairperson, National Biodiversity Authority			—Chairman	
(2)	Secretary, National Biodiversity Authority			—Member	
(3)	One Co-opted Member preferably belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes not below the rank of Under Secretary to the Government of India			—Member	
1	2	3	4	5	6
5. Advisor (Law)	1* (2006) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B' Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 7500-250-12000	Not applicable	No
7	8		9		10
(Relaxable for Government servants upto the age of 45 years in the case of general candidates and upto 50 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: 1. Bachelor's Degree in Law in second Division from a recognized University or Institute or equivalent; and working Knowledge in Computer. 2. Five years' experience as a Judicial Officer or Law Officers or Assistant Legal Advisor in any Government Department or Autonomous Body or five years experience as an Advocate dealing with the matters relating to consumer patent rights/intellectual property rights. Desirable: Master's Degree in Law from a recognised University or Institute.		Not applicable		Two years for direct recruitment
11	12				
Direct recruitment			Not applicable		
13				14	
Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of :				Not applicable.	
(i)	Chairperson, National Biodiversity Authority		—Chairman		
(ii)	Secretary, National Biodiversity Authority		—Member		
(iii)	One Co-opted Member preferably belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes not below the rank of Under Secretary to the Government of India		—Member		

1	2	3	4	5	6
6. Technical Officer (Intellectual Property Right).	1*(2006) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B' Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 7500-250-12000	Selection	No
7	8	9	10		
30 years (Relaxable for Government servant upto the age of 40 years in the case of General Candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) <b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Kangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	<b>Essential qualification:</b> <b>(a) Essential :</b> Bachelors Degree in law from a recognized University or Institution or equivalent; and working Knowledge in Computer. <b>(b) Desirable :</b> Master's degree in law from a recognized University or Institution or equivalent; and <b>Experience :</b> Five years experience as an Advocate dealing with the matters relating to consumer/patent rights/intellectual property rights.	Not applicable	Two years		
11	12				
Direct recruitment	Not applicable				
13	14				
Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of:	Not applicable.				
(i) Chairperson, National Biodiversity Authority	— Chairman				
(ii) Secretary, National Biodiversity Authority	—Member				
(iii) One Co-opted Member preferably belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes not below the rank of Under Secretary to the Government of India	—Member				

1	2	3	4	5	6
7. Technical Officer (Benefit Sharing)	1* (2006) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 7500-250-12000	Not applicable	No
7			8	9	10
30 years. (Relaxable for Government servant) upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).			Educational qualifications : (a) <b>Essential :</b> (i) Master's Degree in Zoology/Marine Biology/Fisheries. (ii) working knowledge in computer. (b) <b>Desirable :</b> Diploma in Sociology from a recognized University or Institute or equivalent; and Experience : 5 years experience in the matters relating to the Extension activities/Benefit Sharing.	Not applicable	Two years
11	12	13	14		
Direct recruitment	Not Applicable	<b>Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of :—</b> 1. Chairperson, National Biodiversity Authority —Chairman 2. Secretary, National Biodiversity Authority —Member 3. One Co-opted Member preferably belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes not below the rank of the Under Secretary to the Government of India —Member	Not applicable.		
1	2	3	4	5	6
8. Private Secretary to the Secretary	1* (2006) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 6500-250-10500	Not applicable	No
7			8	9	10
21 to 30 years. (Relaxable for Government servant) upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note : The crucial date for determining the age limit			Bachelor's degree from a recognized University or Institute or equivalent with computer knowledge (Proficiency in Micro Soft Office/Excel, etc. and Experience of Five years in stenography.	Not applicable	Two years

7

shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

11	12	13	14
By deputation failing which by direct recruitment	<p><b>Deputation :</b> Officers of the Central or State Governments :</p> <p>(a) (i) Holding analogous post on regular basis; or</p> <p>(ii) holding post in the scale of pay of Rs. 5500-175-9000/- or equivalent in the parent cadre/Department on regular basis for at least three years; or</p> <p>(iii) holding post in the scale of pay of Rs. 4000-100-6000 or equivalent in the parent cadre/Department for atleast thirteen years; and</p> <p>(b) having experience in the relevant field as well as in administration.</p> <p><b>Note :</b> (1) The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organization/Department shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>(2) The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairperson, National Bio-diversity Authority —Chairman</li> <li>2. Secretary, National Biodiversity Authority —Member</li> <li>3. One Co-opted Member preferably belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes not below the rank of Under Secretary to the Government of India —Member</li> </ol>	Not applicable.

1	2	3	4	5	6
9. Officer Assistant Computer Assistant	2* (2006) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 5500-175-9000	Not applicable	No

7	8	9	10
20 to 27 years (Relaxable for Government servant) upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)	(a) <b>Essential :</b> (i) Bachelor's degree from a recognized University or Institute or equivalent with knowledge in the use of Computer Software prog-	Not applicable	Two years



7	8	9	10
<p><b>Note 1 :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p><b>Note 2 :</b> The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>	<p>grammes useful in the office work.</p> <p><b>Experience (Desirable) :</b> Having at least five years experience in the field of administration in Government Departments/Autonomous Bodies/Private Sector, etc.</p>	Not applicable	Two years

11	12	13	14
By deputation failing which by direct recruitment.	<p><b>Deputation :</b> Officers of the Central or State Governments : (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) holding post in the scale of pay of Rs. 4000-100-6000 or equivalent in the parent cadre/ Department on regular basis for at least ten years; and (b) having experience in the relevant field as well as in administration. <b>Note. (1)</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organization/ Department shall ordinarily not exceed three years.  (2) The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :—</b> 1. Secretary, National Biodiversity Authority —Chairman 2. Administrative Officer, National Biodiversity Authority —Member 3. One Co-opted Member preferably belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes not below the rank of Under Secretary to the Government of India —Member</p>	Not applicable.

1	2	3	4	5	6
10. Technical Assistant	2* (2006) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 5500-175-9000	Not applicable	No
7			8	9	10
20 to 27 years  (Relaxable for Government servant) upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes			(a) Essential : (i) Master's Degree in Zoology/Botany, Marine Biology/Fisheries from a	Not applicable	Two years



7	8
in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)	recognized University or Institute or equivalent and
<b>Note 1:</b> 1 The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	<b>Experience :</b> Two years, experience in research in taxonomy/Biodiversity related work.
<b>Note 2.</b> The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	<b>Desirable :</b> Knowledge in computer

11	12	13	14
By deputation failing which by direct recruitment.	<b>Deputation :</b> Officers of the Central or State Governments : (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) holding post in the scale of pay of Rs. 4000-100-6000 or equivalent in the parent cadre/ Department on regular basis for at least ten years; and (b) having experience in the relevant field as well as in administration. <b>Note. (1)</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organization/ Department shall not be ordinarily not exceed three years, (2) The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.	<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :—</b> 1. Secretary, National Biodiversity Authority —Chairman 2. Administrative Officer, National Biodiversity Authority —Member. 3. One Co-opted Member preferably belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes not below the rank of Under Secretary to the Government of India —Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6
11. Steno Grade. C.	1* (2006) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 5500-175-9000	Not applicable	No

7	8	9	10
<b>18 to 27 years</b> (Relaxable for Government servant upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) <b>Note : 1.</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  <b>Note 2.</b> The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	<b>(a) Essential :</b> Bachelor's Degree from a recognized University or Institute or equivalent with English Typing (Higher) with shorthand speed 100 w.p.m. Knowledge in Computer. <b>Experience : (Desirable) :</b> Five years, experience as a stenographer.	Not applicable	Two years

11	12	B	14
By deputation failing which by direct recruitment.	<b>Deputation :</b> Officers of the Central or State Governments : (a) (i) holding analogous post on regular basis, or (ii) holding post in the scale of pay of Rs. 4000-100-6000 or equivalent in the parent cadre/ Department on regular basis for at least ten years; and (b) having experience in the relevant field as well as in administration. <b>Note: 1.</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organization/ department shall ordinarily not exceed three years.  <b>Note : 2</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.	<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :</b> 1. Secretary, National Biodiversity Authority —Chairman 2. Administrative Officer, National Biodiversity Authority —Member 3. One Co-opted Member preferably belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes not of the Under Secretary to the Government of India —Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6
12. Steno Grade. D	1* (2006) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 4000-100-6000	Not applicable	No

7	8	9	10
<b>18 to 27 years</b>			
(Relaxable for Government servant upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)	<b>Essential :</b> Matriculation from a reconized Board/Institute or equivalent with English Typing (Higher) and short-hand speed 80 w.p.m. in English and Knowledge in computer.	Not applicable	Two years
<b>Note : 1</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).			
<b>Note 2.</b> The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.			

11	12	13	14
By deputation failing which by direct recruitment.	<b>Deputation :</b> Officers of the Central or State Governments : (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) holding post in the scale of pay of Rs. 3050-75-4590 or equivalent in the parent cadre/ Department on regular basis for at least five years; and (b) having experience in the relevant field as well as in administration. <b>Note: 1</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organization/ Department shall ordinarily not exceed for three years. <b>Note : 2</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.	<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :—</b> 1. Secretary, National Biodiversity Authority —Chairman 2. Administrative Officer, National Biodiversity Authority —Member. 3. One Co-opted Member preferably belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes not below the rank of the Under Secretary to the Government of India —Member	Not applicable

2	3	4	5	6
3. Peon/Daftry (2 by out-sourcing and 2 in scale of pay)	4* (2006) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Non selection
				No

7	8	9	10
<b>18 to 25 years</b> (Relaxable for Government servant upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) <b>Note : 1.</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep) <b>Note 2.</b> The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	<b>(a) Essential :</b> (1) Middle School Certificate (2) Job certificate in binding works from any reputed organization. <b>Desirable :</b> (1) Ability to read and write in Hindi. (2) Ability to undertake field duties with officers and other employees. (3) Ability to operate Xerox machines.	Not applicable	Six months for direct recruits
11	12	13	14
By direct recruitment or by Contract basis through outside agencies	Not applicable	<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of : -</b> 1. Secretary, National Biodiversity Authority —Chairman 2. Administrative Officer, National Biodiversity Authority —Member 3. One Co-opted Member preferably belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes not below the rank of the Under Secretary to the Government of India —Member	Not applicable.

[F.No. J-22018/19/2003-CSC (BC)]

DESH DEEPAK VERMA, Jt. Secy.